[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II के खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 07/2020-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनाँक 21 अक्टूबर, 2020

सा.का.नि. ..... (अ).- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (एतश्मिनपश्चात, जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 5क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अतंर्गत आने वाले विशिष्ट वस्तुओं को, जब उनको परिधानों तथा मेड-अप्स के निर्यात पर राज्य लेवी की छूट संबंधी योजना (एतश्मिनपश्चात, जिसे आरओएसएल स्कीम से संदर्भित किया गया है) के अंतर्गत क्षेत्रीय प्राधिकारी के द्वारा जारी किये गये शुल्क जमा स्क्रिप (एतश्मिनपश्चात, जिसे उक्त स्क्रिप से संदर्भित किया गया है) के एवज में निकास किया गया हो, को प्रक्रिया की पुस्तिका के पैराग्राफ 4.97 तथा 4.98 के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.01(घ) के अनुसार उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत उनपर लगाये जाने वाले संपूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करती है।

2. उक्त छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगी, यथा:-

(1) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 38/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट (1) से (4) की शर्तें पूरी होती हों और उक्त स्क्रिप उस पंजीकरण पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी (एतश्मिनपश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी से संदर्भित किया गया है) के यहां पंजीकृत हो जो उक्त स्क्रिप में विनिर्दिष्ट हो;

(2) कि उक्त स्क्रिप का धारक, जो कि वह व्यक्ति हो सकता है जिसे उक्त स्क्रिप मूल रूप में जारी की गयी हो या जिसे उक्त स्क्रिप अंतरित की गयी हो, उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास उक्त स्क्रिप का ब्यौरा प्रस्तुत करता हो और साथ-ही-साथ आपूर्तिकर्ता या विनिर्माता से प्राप्त एक पत्र या प्रोफार्मा इन्वॉइस भी प्रस्तुत करता हो जिसमें इसके अधिकार क्षेत्र वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी (एतश्मिनपश्चात जिसे उक्त अधिकारी से संदर्भित किया गया है) का ब्यौरा और जिस वस्तु को निकास किया जाना है उसका विवरण, मात्रा और मूल्य और यदि उसपर यह छूट न दी जाती तो उस पर लगने वाले शुल्क का उल्लेख हो;

(3) कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी उपर्युक्त अधिसूचना सं. 38/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 21 अक्टूबर, 2020 के अंतर्गत किये गये आयात पर पहले ही की गयी डेबिट को और इस छूट को ध्यान में रखते हुए, यदि यह छूट न दी गयी होती तो, उस पर लगने वाले शुल्क को सीमाशुल्क के स्वचालित व्यवस्था से इल्केट्रॉनिक रूप में डेबिट कर लेगा और इन कार्यों से संबंधित लिखित सलाह उक्त अधिकारी को देगा;

(4) कि निकासी के समय स्क्रिप का धारक इस बात की दायित्व पत्र प्रस्तुत करता है, जो कि उक्त अधिकारी को संबोधित हो, कि यदि उक्त स्क्रिप में की गयी डेबिट की राशि कम है तो वह मांग किये जाने पर डेबिट में कम रह गयी राशि के बराबर की राशि और उस पर लगने वाले ब्याज का भुगतान कर देगा;

(5) कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी से प्राप्त उक्त लिखित सलाह और उक्त अंडरटेकिंग के आधार पर उक्त अधिकारी निकासी के ब्यौरे को अभिपुष्ट करता हो और उक्त लिखित सलाह के पृष्ठ पर ही लगने वाले शुल्क, यदि यह छूट न दी जाती तो, को भी वैधता प्रदान करेगा जिसको कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा डेबिट किया जाना था और ऐसे निकासी को अपने रिकॉर्ड में रखेगा;

(6) कि उक्त अधिकारी उक्त अभिपुष्ट लिखित सलाह की विधिवत सत्यापित प्रतियां स्क्रिप धारक और विनिर्माता को सुलभ करायेगा जो इस अधिसूचना के अंतर्गत अपने निकासी के समर्थन में उसको अपने पास रखेंगे;

(7) कि उक्त स्क्रिप धारक, जिसके माल को क्लीयर किया गया था उक्त स्क्रिप में डेबिट की गयी राशि जोकि निकासी के समय वैध करार दी गई हो, के एवज में, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अंतर्गत लगाये जाने वाले उत्पाद शुल्क के लिए प्रतिअदायगी या सेनवेट क्रेडिट को प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से, -

(क) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति, 2015-2020, से है जिसका प्रकाशन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना सं. 01/2015-20, दिनांक 01 अप्रैल, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित, के तहत किया गया है;

(ख) "परिधानों" से अभिप्राय वही है जो इसके लिए वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं. 12020/03/2016-आईटी, दिनांक 12 अगस्त, 2016 में दिया गया है जिसके द्वारा परिधानों के निर्यात पर लगायी जाने वाली स्टेट लेवी से छूट की योजना को अधिसूचित किया गया था;

(ग) "मेड-अप्स" से अभिप्राय वही है जो इसके लिए वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं. 12015/47/2016-आईटी, दिनांक 03 जनवरी, 2017 में दिया गया है जिसके द्वारा मेड-अप्स के निर्यात पर लगायी जाने वाली स्टेट लेवी से छूट की योजना को अधिसूचित किया गया;

(घ) "माल" से अभिप्राय किसी भी आगत या माल से है जिसमें पूंजीगत माल भी आता है;

(ङ) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" से अभिप्राय विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक से अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार पत्र जारी करने, जिसमें शुल्क जमा स्क्रिप भी आती है, के लिए प्राधिकृत किसी भी अधिकारी से है।

[फा.सं. 605/04/2019-डीबीके (खंड-I)]

(गोपाल कृष्ण झा)
निदेशक (ड्रॉबैक)